

चौधरी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजगढ़. चूरु (राजस्थान)
बी. एड. प्रवेश आवेदन-पत्र: सत्र 2019-2020
(प्रवेशार्थी द्वारा भरा जाए। कोई भी कॉलम रिक्त न छोड़ा जाए)

आवेदन पत्र सं. चालान न (1).....(2)..... दिनांक :

1. विश्वविद्यालय की नामांकन (एनरोलमेंट संख्या) पी.टी.ई.टी. अनुक्रमांक.....
विश्वविद्यालय का नाम जहाँ से अन्तिम परीक्षा पास की है पी.टी.ई.टी. प्राप्तांक
स्नातक/स्नातकोत्तर का पूर्णांकप्राप्तांक.....प्रतिशत..... मैरिट क्रमांक
संकाय.....

1. नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. लिंग.....
4. आपका प्रवेश जिस वर्ग में हो रहा है उस वर्ग के सामने कोष्ठक में सही का निशान लगायें।

- (i) अनुसूचित जाति (ii) अनुसूचित जन जाति (iii) अन्य पिछड़ा वर्ग
(iv) रक्षाकर्मी (v) विकलांग (vi) विधवा (vii) परित्यक्ता (viii) सामान्य

1. अभ्यास शिक्षण विषय जो लेने चाहेंगे—(i)..... (ii).....

नोट: (i) दो शिक्षक विषय चुनने हैं। ये विषय स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में लिए गये तथा माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले होने चाहिए।

- 1 नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी में).....
2 जन्म तिथि(दिन.....माह.....वर्ष.....)
3 (अ) पिता का नाम.....(ब) व्यवसाय.....(स) वार्षिक आय.....
(द) माता का नाम.....(य) व्यवसाय.....(र) वार्षिक आय.....
4 संरक्षक का नाम, व्यवसाय, पता व फोन नं. (यदि पिता जीवित न हो).....
.....
5 प्रार्थी का स्थाई पता गांव/शहर.....डाकघर.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....मोबाइल नं.....
6 प्रार्थी का पत्र व्यवहार के लिए पता गांव/शहर.....डाकघर.....
7 क्या आप विवाहित हैं? हां/नहीं

प्रार्थी के हस्ताक्षर

निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न कीजिए—

1. पी. टी. ई. टी. मूल अंकतालिका एवं कॉललेटर एवं प्रवेश पत्र।
2. अनुसूचित जाति, जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र (जिलाधीश अथवा प्रथम या द्वितीय श्रेणी दण्डनायक द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र)
3. रक्षाकर्मी अथवा उनके आश्रित को प्रमाण पत्र (यूनिट मेजर/सचिव/सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र)
4. विकलांग श्रेणी के लिए प्रमाण-पत्र (अंधे, बहरे गूंगे इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।)
प्रदत्त राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CM & HO) जिसमें न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण-पत्र।
नोट: अन्य किसी चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
5. विधवा/परित्यक्ता का प्रमाण पत्र (प्रदत्त प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट)
नोट: 1. न्यायालय द्वारा जारी परित्यक्ता की डिक्री व पुनः शादी नहीं करने का शपथ-पत्र, विधवा पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पुनः शादी नहीं करने का शपथ-पत्र।
2. प्रवजन (माइग्रेशन) प्रमाण-पत्र मूल (उनके लिए जिन्होंने अन्य विश्वविद्यालय से अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण की है।)

शपथ-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. आवेदन पत्र में दिये गये समस्त तथ्य सही है। कोई तथ्य गलत साबित होने पर मेरा प्रवेश रद्द कर दिया जाये तथा जमा किया हुआ समस्त शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
2. कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहूँगा/रहूँगी/निर्धारित नियमों के अनुसार उपस्थिति कम होने पर परीक्षा में नहीं बैठ पाया/पायी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
3. प्रशिक्षण काल के दौरान प्रसूति अवकाश नहीं लूँगी। (केवल विवाहित महिलाओं के लिए)
4. अवकाश सविकृत करायें बिना महाविद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहूँगा/रहूँगी/सात दिन निरन्तर अनुपस्थित रहने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को नाम पृथक करने का अधिकार होगा।
5. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे कभी किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में बैठने से निष्कासित नहीं किया गया और न ही मुझे पुलिस के द्वारा बंदी बनाया गया या किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।
6. मैं संस्था द्वारा निर्धारित गणवेश धारण करूँगा/करूँगी।
7. महाविद्यालय के शिक्षण काल में संस्था के नियम पालन, अनुशासन, आचरण एवं व्यवहार का उत्तरदायित्व मेरा स्वयं का होगा।
8. आवेदन पत्र भरने से पूर्व मैंने समस्त निर्देशों व विवरण को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है आवेदन पत्र में कोई कमी रह जाने पर आवेदन पत्र रद्द होने की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

प्रवेश आज्ञा

प्रमाणित किया जाता है कि शैक्षिक योग्यताओं, शिक्षक अनुभव, जाति प्रमाण-पत्र, आरक्षित वर्ड प्रमाण-पत्र आदि का मैंने मूल पत्रों से सत्यापन कर लिया है। इसका नाम मेरिट सूची में है।

जांचकर्ता प्रवक्ता के हस्ताक्षर

प्रवेश प्रभारी के हस्ताक्षर

प्राचार्य आदेश

प्रवेश सम्बन्धी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति एवं सत्यापन होने के पश्चात अस्थायी प्रवेश की आज्ञा दी जाती है।

प्राचार्य

कार्यालय प्रयोग हेतु

शुल्क जमा राशि 5,000/- चालान नं. दिनांक बैंक शाखा

शुल्क जमा राशि 22,000/- चालान नं. दिनांक बैंक शाखा

हस्ताक्षर कार्यालय अधीक्षक